प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

31 अगस्त 2023

तिमाही बीएसआर-2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि[1]– जून 2023

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि– जून 2023' शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल (वेब-लिंक: https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=BsrPublications#!21) पर जारी[2] किया।

तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर)-2 सर्वेक्षण में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर) जमा के प्रकार (चालू, बचत और मियादी), इसके संस्थागत क्षेत्रवार स्वामित्व, व्यक्तियों से संबंधित जमाराशियों के आयु-वार वितरण, मियादी जमाराशियों की परिपक्वता पैटर्न के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या पर शाखा-वार आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। ये आंकड़े अलग-अलग स्तर (अर्थात्, जमाराशियों का प्रकार, जनसंख्या समूह, बैंक समूह, राज्य, जिले, केंद्र, ब्याज दर सीमा, आकार, मूल और अवशिष्ट परिपक्वता) पर जारी किए जाते हैं।

मुख्य बातें:

- जून 2023 में बैंक जमाराशियों में चालू, बचत और मियादी जमाराशियों का हिस्सा 9.6 प्रतिशत, 31.8 प्रतिशत और 58.6 प्रतिशत रहा।
- लगभग दो-तिहाई मियादी जमाराशियों को एक से तीन वर्ष की मूल परिपक्वता वाले समूह में रखा गया था; लगभग 20 प्रतिशत मियादी जमा अल्पकालिक (अर्थात्, एक वर्ष से कम) थे।
- घरेलू क्षेत्र[3] के पास बैंक जमाराशियों (61.0 प्रतिशत) का सबसे बड़ा हिस्सा था। जून 2023 में वरिष्ठ नागरिकों और नाबालिगों के पास कुल जमाराशियों का क्रमश: 19.8 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत हिस्सा था।

---

[1] जून 2023 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के लिए पाक्षिक फॉर्म-ए विवरणी (आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के तहत एकत्रित) के आधार पर बैंक जमाराशि संबंधी समग्र डेटा हमारी वेबसाइट (होम>सांख्यिकी>जारी आंकड़े>पाक्षिक>भारत में अनुसूचित बैंक की स्थिति का विवरण) पर पहले ही प्रकाशित किया गया है।

[2] मार्च 2023 से, आरआरबी, जो वार्षिक आधार पर विवरणी प्रस्तुत करना जारी रखेंगे (अर्थात्, 31 मार्च की स्थिति), के अलावा अन्य एससीबी के लिए बीएसआर-2 की रिपोर्टिंग की आवृत्ति को त्रैमासिक में बदल दिया गया है। पूर्ववर्ती बीएसआर-7 विवरणी को दिसंबर 2022 की रिपोर्टिंग के बाद बंद कर दिया गया था और बीएसआर-7 आधारित डेटा तालिकाएं अब बीएसआर-1 और बीएसआर-2 विवरणी के आधार पर प्रसारित की जा रही हैं।

[3] घरेलू क्षेत्र में अन्य के साथ-साथ व्यक्ति, मालिकाना संस्थाएं, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और साझेदारी फर्म शामिल हैं।

- 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान बैंक जमाराशियों पर लाभ में काफी वृद्धि हुई है। जून 2023 में कुल मियादी जमाराशियों में छह प्रतिशत से कम ब्याज दर वाली मियादी जमाराशियों की हिस्सेदारी घटकर 25 प्रतिशत रह गई जो एक तिमाही पहले 38.7 प्रतिशत थी। दूसरी ओर, 6 से 8 प्रतिशत ब्याज दर वाली मियादी जमाराशि की हिस्सेदारी इसी तिमाही के दौरान 57.8 प्रतिशत से बढ़कर 70.7 प्रतिशत हो गई।

- 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान, कुल जमाराशियों में महिला जमाकर्ताओं सहित व्यक्तिगत जमाराशियों की हिस्सेदारी बढ़ गई, जबकि गैर-वित्तीय निगमों के लिए इसमें गिरावट आई। 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान सभी जनसंख्या समूहों (जैसे ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी, महानगर) में बैंक शाखाओं में जमाराशि का अंतर्वाह दर्ज किया गया।

- अप्रैल-जून 2023 के दौरान वृद्धिशील जमाराशियों में आधा से अधिक योगदान महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और गुजरात का था।

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/844